प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 24.03.2026

जनपदीय एसओजी, सर्विलांस सेल, गैंगस्टर सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना रोजा पर जीएसटी की फर्जी फर्म बनाकर लगभग 02 करोड़ रुपये की कर चोरी करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में जीएसटी फ्रॉड संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं चिह्नित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी गैंगस्टर सेल, जनपद शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व में जनपदीय एसओजी, सर्विलांस सेल एवं थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जीएसटी की बोगस फर्म बनाकर लगभग 02 करोड़ रुपये की कर चोरी कर व्यापारियों को आईटीसी का अवैध लाभ पहुँचाने वाले अभियुक्त पंकज को जीएसटी कार्यालय मोहम्मदी रोड पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से भोले-भाले व्यक्तियों को नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं फोटो आदि दस्तावेज प्राप्त कर लेते थे। तत्पश्चात उनके फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर तैयार कर बोगस जीएसटी फर्मों का पंजीकरण कराते थे। इन फर्जी जीएसटी फर्मों के नाम से कूटरचित ई-वे बिल एवं बिल्टी तैयार कर जनपद महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर आदि जनपदों से स्क्रैप खरीदते थे तथा जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से विक्रय कर फर्जी लेन-देन दर्शाते हुए कर चोरी करते थे।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण /पूछताछ विवरण -</u>

दिनांक 28/29.11.2025 को मोहम्मदी रोड पर जीएसटी के सचल दल प्रभारी हरित कुमार, हे0का0 शुभम तथा का0 चमन द्वारा अवैध रूप से माल सप्लाई करने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UP 14 HT 7358 के चालक मेहरवान, वाहन संख्या BR 06 GE 5270 के चालक केश्वर कुमार तथा वाहन संख्या HR 67 DE 3245 के चालक नंदलाल भगत को प्रमोद इंटरप्राइजेज के नाम से संचालित फर्जी जीएसटी फर्म के ई-वे बिल एवं बिल्टी सहित रोका गया। जांच के दौरान प्रस्तुत समस्त अभिलेख फर्जी एवं कूटरचित पाए गए। उक्त संबंध में थाना रोजा पर मु0अ0सं0 640/2025 धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व धारा 132 जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक विकास कुमार, सचल दल शाहजहाँपुर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं विवेचना की गुणवत्ता परख व यथाशीघ्र विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय द्वारा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। विवेचना निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह, प्रभारी गैंगस्टर सेल को सुपुर्द की गई। विवेचक द्वारा सर्विलांस सेल व साइबर सेल के अपेक्षित सहयोग से जीएसटी फर्म प्रमोद इन्टरप्राइजेज में माह अक्टूबर व नवम्बर 2025 में फर्जी रूप से इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले पंकज कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम भैरहे चौरा थाना भटनी जिला देवरिया को आज दिनांक 24.03.2026 को समय 10.53 बजे जीएसटी कार्यालय मोहम्मदी रोड पुल के पास, थाना रोजा से किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त पंकज ने बताया कि उसके द्वारा करीब 07-08 माह पूर्व एक मोबाइल प्वाइंट से सुनील पटेल नाम के व्यक्ति की आईडी पर प्रि-एक्टिव सिम 2000 रूपये में खरीदा और उस मोबाइल के इंटरनेट का उपयोग करके infotechjune01gmail.com

आईडी बनायी और इस आईडी का प्रयोग करके प्रमोद इन्टरप्राइजेज जीएसटी फर्म में माह अक्टूबर-नवम्बर 2025 में जीएसटी रिटर्न फाईल किया। इसके अतिरिक्त इसी ई-मेल आईडी व मोबाइल नम्बर से सचिन ट्रैडर्स दीपक इन्टरप्राइजेज, यश इन्टरप्राइजेज जीएसटी फर्मों में भी रिटर्न दाखिल किये गये। जिसके सम्बन्ध में जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाईन में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त पंकज द्वारा यह भी बताया गया है कि उसे राजेश निवासी साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ट्रकों की डिटेल उपलब्ध कराता था और वह उक्त ट्रकों की डिटेल को रचना निवासी दिल्ली को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता था। रचना फर्जी जीएसटी बिल बनाकर उसे वापस भेजती थी और इन्हीं डिटेल को वह जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर आईटीसी क्रेडिट करता था। जिसका लाभ व्यापारी ले रहे थे। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

पंकज कुमार यादव पुत्र रमेशचन्द्र उम्र करीब 23 वर्ष निवासी भैरहे चौरा थाना भटनी जनपद देवरिया

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 640/2025 धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 132 जीएसटी अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनाँक समय , स्थान

दिनाँक 24.03.2026 समय 10.53 बजे, जीएसटी कार्यालय मोहम्मदी रोड पुल के पास, थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण -

1. 01 एंड्रॉइड फोन
2. 01 टैबलेट
3. 2600 रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह, प्रभारी गैंगस्टर सेल जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार, प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम
3. निरीक्षक राजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 जगत सिंह गैंगस्टर सेल जनपद शाहजहाँपुर
5. उ0नि0 सागर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
6. उ0नि0 श्री मनोज कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम
7. प्रभारी साइबर सेल मय टीम